न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 12 / 2014

1. सत्यवीर सहारण पुत्र चन्दुलाल सहारण निवासी वार्ड न. 17 जोगीआसन, नोहर।
2. पंकज डिगवाल पुत्र चानणमल डिगवाल निवासी वार्ड न. 17 जोगीआसन, नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. टीकूराम पुत्र गिगाराम वार्ड न. 17 जोगीआसन, नोहर।
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नोहर।
3. पंचायत समिति नोहर।
4. ग्राम पंचायत अरड़की।

– अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : **04.03.2021**

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. प्रार्थी वार्ड न. 17 के रहने वाले हैऔर हम प्रार्थी के मौहल्ले में एक खाली राजकीय भूमि (18305 वर्गफुट) मौजूद है जो की सन 1980 में अरड़की ग्राम पंचायत के अन्दर आती थी उस समय लोगों के आर्थिक कमजोर होने के कारण और लोगों की जरूरत को समझते हुए नोहर क्षेत्र की सीमा के बाहर श्री अमरनाथ डेरा प्रमुख श्री छोटूनाथ जी महाराज ने यह जमीन (जिसकी मिसल स0 08 सन 1980–81 दिनांक 20.10.80 पटटा न0 23, 9152 3/4 दरगज) सार्वजनिक महिला शौचालय के नाम से दान में दी थी। मिसल स0 08 व पटटा स0 23 की तस्दीक करवाई जो कि सार्वजनिक शौचालय के नाम से दर्ज पाया गया लेकिन सार्वजनिक महिला शौचालय के नाम के साथ–साथ रामकिशन छिम्पा व टिकुराम रेगर का नाम दर्ज पाया गया चूंकि रामकिशन छिम्पा लगभग वर्ष पहले अचानक इस दुनिया से चल बसें तो अब केवल टिकूराम रेगर को नाम इस सार्वजनिक महिला शौचालय के साथ रह जाने के कारण टिकूराम रेगर व अन्य चन्द भू–माफिया लोग आपस में मिलकर इस भूमि पर कब्जा करने का षड्यन्त्र कर रहे है ताकि आबादी के मध्य आया यह भूमि का टूकड़ा अरबों रूपयों में बिके। जब हम वार्ड वासियों को इस षड्यन्त्र का पता लगा तो हमने मिसल क हिसाब से अरड़की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2/2

ग्राम पंचायत से जांच मांगी तो सच सामने आया कि अरड़की पंचायत में मिसल के हिसाब से कोई रिकार्ड नहीं है जिस बात का फायदा टिकूराम रेगर व अन्य चन्द भू–माफिया लोग उठाना चाहते है। व ये फायदरा देख टिकूराम अपना मालिकाना हक जताना चाहता है। आज खुले में शौच की कोई आवश्यकता नही है और सर्वोच्य न्यायालय केन्द्र व राज्य सरकार आदि ने खुले रूप से खुले में शौच को बन्द करने का निर्णय लिया है। तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच को बन्द करने का प्रयास भी कर रहे है। वार्ड 16, 17 व 18 के मध्य सार्वजनिक महिला शौचालय के नाम से जारी भूमि के पटटे को खारिज करने की अपील ग्राम पंचायत अरड़की व पंचायत समिति नोहर को भी कर सकते थे लेकिन हमें आशंका है कि इन जगहों पर अपील करने से फैसला टिकूराम पुत्र गिगाराम के पक्ष में आता क्योंकि जिस समय पटटा जारी था उस समय टिकूराम पुत्र गिगाराम ग्राम पंचायत अरड़की का मौजूद पंच था।

निगरानी पेश कर निवेदन है की ग्राम पंचायत अरड़की का मिसल संख्या 08 सन् 1980–81 दिनांक 20.10.80 पटटा न0 23, 9152 3/4 दरगज निरस्त किया जाकर उक्त पटटा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जारी करने के आदेश फरमावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में अपील मिमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की नोहर क्षेत्र की सीमा के बाहर श्रीअमरनाथ डेरा प्रमुख श्री छोटूनाथ जी महाराज ने यह जमीन जिसकी मिसल स0 08/1980–81 दिनांक 20.10.1980 पटटा संख्या 23 9152 3/4 दरगज सार्वजनिक महिला शौचालय के नाम से दान दी थी । हमने मिसल स0 08 व पटटर स0 23 की तस्दी करवाई जो की सार्वजनिक महिला शौचालय के नाम से दर्ज पाया गया लेकिन सार्वजनिक महिला शौचालय के साथ–साथ रामकिशन छिम्पा व टिकुराम रेंगर का भी नाम दर्ज पाया गया जिस नाम का फायदा टिकुराम रेंगर अपना मालिकाना हक जताना चाहता है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत अरड़की का मिसल स0 8 सन 1980–81 दिनांक 20.10.1980 पटटा स0 23 9152 3/4 निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की उक्त भूखण्ड का पटटा जारी के समय ग्राम पंचायत अरड़की के मोहल्ला जोगीआसन में था तथा उक्त पटटा कस्बा नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/3

की नगरपालिका द्वारा अनुशाषित है यानि ग्राम पंचायत अरड़की से उक्त सम्पति अनुशाषित नहीं है।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.03.2021 लिखाया जाकर को खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें।

(गंजन सोनी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)